परिपत्र

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक 30-6-2016

समस्त अति.मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय : एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

सचिव, राजस्थान विधानसभा ने दिनांक 17.05.2016 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के चैम्बर में प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ आयोजित बैठक में की गयी चर्चा का कार्यवाही विवरण संलग्न कर निम्न अनियमितताओं की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु ध्यान आकर्षित किया है –

1. महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के लेखों की जांच के पश्चात गठित किये गये आक्षेप बार–बार दोहराये जाते हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा ऐसे 88 विभागों एवं राजकीय उपक्रमों की सूची प्रस्तुत की है जिनमें विगत सात वर्षों से एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति हो रही है (सूची संलग्न)।
2. जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/ स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में परीक्षण के समय विभागों/राजकीय उपक्रमों द्वारा परीक्षण हेतु वांछित सूचनाओं को उपलब्ध नही कराने एवं छिपाये जाने का प्रयास किया जाता है।
3. अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराया जाना, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति को परीक्षण हेतु वांछित सूचनाए उपलब्ध नहीं कराया जाना/तथ्यों को छिपाया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने तथा जन लेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं तथ्यों को छिपाये जाने पर रोकथाम हेतु निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं –

1. एक ही प्रकृति के आक्षेपों को बार–बार दोहराया जाना यह दर्शाता है कि विभाग / राजकीय उपक्रम की कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली / प्रक्रिया / नियमों की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार संशोधन किए जावे तथा सभी विभागाध्यक्षों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियो को इसकी पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पाबंद किया जावे।
2. जब भी जन लेखा समिति / राजकीय उपक्रम समिति / स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा विभागों / राजकीय उपक्रमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावे तो परीक्षण के समय वांछित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास नहीं किया जावे एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सही सूचना दी जावे।
3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पूर्व में ही परिपत्र क्रमांक 13 (134) वित्त / अंकेक्षण / 91 दिनांक 17.02.2016 जारी किया हुआ है जिसकी कड़ाई से पालना किया जाना अपेक्षित है।

कृपया इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गयी कार्यवाही से राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भी अवगत करावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा / आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

(परिशिष्ठ-ख)

(Annexure-B)

Statement showing the irregularities repeated in Audit Reports (Civil/G&SS) for the years 2007-08 to 2013-14

1. Public Health Engineering Department

- Execution of Water Supply Schemes without ensuring reliable source of water in violation to the instructions issued by RWSSMB.
- Payment of Price Escalation Charges in Lump sum Contracts in violation to PWF&AR Rules.
- Award of work/commencement of work without providing dispute free land or acquisition of land. The objective of providing drinking water to the areas was also not achieved.
- Delay in Completion of Water Supply Schemes resulted in cost overrun and non-fulfillment of the objective for a long time.
- Irregular and unauthorized expenditure on execution of additional works in contravention of financial powers.
- Several deficiencies in regard to Quality of drinking water viz. shortfalls regarding water quality, disinfection of water and compliance to BIS standards were noticed.

2. Medical & Health Department

- Unauthorized and irregular diversion of funds under NRHM.
- Non-utilization of Machines/Equipments/Buildings resulted in unfruitful expenditure.
- Due to weak monitoring health infrastructure was not strengthened despite availability of Central Assistance hence forth, funds lying idle.

3. Higher Education Department

- Short Realization of Affiliation Fee/Penalty from Private Colleges.

4. Social Justice & Empowerment Department

(3)

- Several Irregularities in reimbursement of Scholarship and fraudulent claims noticed repeatedly.

5. **Medical Education Department**
   - Lack of monitoring and decisiveness of the Department resulted under-utilization of Hospital Building.

6. **Tribal Area Development Department**
   - Lack of proper planning, monitoring and adequate instructions resulted in non-utilization of Central Assistance.

7. **Finance Department**
   - Excess Payment of Pension.

8. **Disaster Management & Relief Department**
   - Unauthorized Expenditure/Non-adherence to Norms of CRF funds.

9. **Youth affairs and Sports Department**
   - Due to slackness of the Department sports infrastructure facilities could not be developed in the State.

531

(b)

Statement showing the irregularities repeated in Audit Reports (State Finances) for the years 2008-09 to 2014-15

1. **Paras relating to Finance Department**
   - Advances from Contingency Fund
   - Personal Deposit Account
   - Delay in transfer of Rajasthan Buildings and Other Constructions Workers Welfare Fund and less utilization of Funds.

2. **Para of Persistent savings relates to following Departments**
   - Art & Culture
   - Agriculture
   - Education
   - Food & Civil supply
   - Forest
   - Industries
   - Medical Education
   - Medical and Health
   - Public Works
   - Revenue
   - Social Justice & Empowerment
   - State Excise
   - Tourism
   - Tribal Area Development
   - Water Resources

7

पिछले 7 वर्षो में लेखापरीक्षा के दौरान पुनरावृत आक्षेपों के विषयों की विभागवार सूची

1. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

1. तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृतियों का अभाव ।
2. क्षतिपूर्ति शास्ती की राशि की वसूली का अभाव ।
3. अधूरे निर्माण कार्यो पर निष्फल व्यय ।
4. टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति में निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंधन ।
5. आपूर्तित पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने का अभाव ।
6. निर्माण कार्यो का सक्षम अधिकारियों के द्वारा भौतिक निरीक्षण करने का अभाव ।
7. स्टोर्स में आवश्यकता से अधिक सामान का रखा जाना इत्यादि ।

2.कृषि विभाग

1. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।
2. उर्वरक,बीज एवं रसायनों के नमूने अमानक पाये जाने पर दोषी फर्मो के विरूद्व कार्यवाही का अभाव।
3. विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि के उपयोग का अभाव।

3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित विभिन्न P.D.S. वस्तुओं के भारत सरकार द्वारा दिये गये आवंटन के पूर्ण उठाव का अभाव।

4. सहकारिता विभाग

1. धारा 57(1)के तहत दर्ज प्रकरणों में वसूली का अभाव।
2. धारा 57 (2) में निर्णित प्रकरणों में वसूली का अभाव।
3. समितियों के ऑडिट फीस की वसूली का अभाव।

5. श्रम विभाग

1. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत निर्णीत मामले में क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली का अभाव।

6. रोजगार विभाग

1 अश्रत कौशल योजना, 2009 पर निष्फल व्यय।

7. आपदा एवं प्रबंधन विभाग

1. पेयजल परिवहन में अनियमितताए ।
2. सहायता मद में अनियमित व्यय ।

8. कारखाना एवं बायॅलर्स विभाग

1. कारखानों के पंजीयन का अभाव ।
2. लायसेंस नवीनीकरण राशि वसूली का अभाव ।

9. सैनिक कल्याण विभाग

1. झण्डा दिवस के अवसर पर वितरित फलैग्स की बकाया राशि की वसूली का अभाव ।
2. युद्व विधवा छात्रावास निर्माण कार्य की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति का अभाव ।

10. कार्मिक विभाग

1. उपयोगिता प्रमाण पत्र का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक क)

11. सम्भागीय आयुक्त विभाग

1. बजट आवंटन से अधिक व्यय राशि ।
2. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।

12. कला संस्कृति विभाग

1. कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान की वसूली का अभाव।
2. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।
3. विविध देनदारी बकाया राशि के वसूली का अभाव।
4. अनुपयोगी अनुदान राशि को वापिस राजकोष में जमा कराने का अभाव। (सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ख)
5. बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के हानियों का अपलेखन करना ।
6. कलाकार कल्याण कोष के अर्जित ब्याज को सामान्य निधि में अनियमित हस्तांतरण किया जाना ।
7. अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराने का अभाव।
8. सीमित एवं खुली निविदाऐं आमंत्रित किये बिना सामग्री की अनियमित खरीद ।

13. पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग

1. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।
2. लम्बे समय से बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का अभाव। (सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ग)

14. पुरातत्व एवं संग्राहालय विभाग

1. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।
2. बजट राशि से अधिक व्यय एवं कार्योत्तर स्वीकृति का अभाव ।

(525)

(10)

15. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

1. भण्डार में कम पायी गयी सामग्री की राशि के वसूली का अभाव ।
2. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।
3. पावर फेक्टर संधारण नहीं किये जाने से बिजली बिलों में सरचार्ज का परिहार्य व्यय भुगतान ।
4. मुद्रण मशीनो को निर्धारित क्षमता के विरूद्व 22.15 ही उपयोग के कारण कर्मचारियों के वेतन भत्तो पर निष्फल व्यय ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक घ)

16. सुनार विभाग

1. भण्डार के अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण का अभाव ।
2. ए.सी. बिलो का समय पर डी.सी. बिल प्रस्तुत करने का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक च)
3. अभिलेख प्रस्तुत करने का अभाव ।
4. बिना निविदा अनियमित खरीद ।

17. आयुर्वेद विभाग

1. बजट आवंटन से अधिक व्यय ।
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का योजनाओं में उपयोग ना करने से उसके लाभो से वंचित रहना ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक छ)

18. आयुर्वेद (कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय)जोधपुर

1. विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत निधियों का निवेश ब्याज रहित पी. डी. खाता से करने से ब्याज की हानि ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ज)
2. अभिलेख प्रस्तुत करने का अभाव ।

19. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

1. टच स्क्रीन इन्फोरमेशन कियोस्क को काम मे न लेने से अनुपयोगी व्यय ।
2. अनुपयोगी भण्डार सामग्री के निस्तारण का अभाव ।
3. अस्थायी अग्रिमों के समायोजन का अभाव ।
4. बजट आवंटन से अधिक व्यय ।
5. अन्यन्त्र कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं अन्य भत्तो का अनियमित भुगतान ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक झ)

20. रजिस्ट्रार राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड मानसरोवर जयपुर

1. राज्य सरकार की अनुमति के बिना विकास शुल्क की वसूली ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ट)
2. अभिलेख उपलब्ध करवाने का अभाव ।

21. समेकित बाल विकास सेवायें विभाग

1. स्वयं सहायता समूहो को दी गई रिवॉल्विंग फण्ड राशि की वसूली का अभाव ।
2. मातृ समितियों को दिये गये अस्थायी अग्रिमों की वसूली का अभाव ।
3. पी.डी.खाते मे राशि अवरूद्व पडी रहना ।
4. केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं अन्य योजनाओं की प्राप्त राशियों का उपयोग नही करने से अवशेष होना ।

22. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

1. पालनहार योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति को आवंटित बजट अवितरित रखने के कारण योजना का लाभान्वितों को पूर्ण लाभ दिये जाने का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ठ)
2. अभिलेख प्रस्तुत करने का अभाव ।

537

12

23. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

1. अभिलेख प्रस्तुत करने का अभाव ।
2. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकार कार्य प्रारम्भ न करने से उसके पास राशि का अवरूद्व होना, तथा पी.डी. खाते में राशि का अवरूद्व होना ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ड)

24. देवस्थान विभाग

1. मन्दिर सम्पदाओ की किराया वसूली का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक ढ)
2. अभिलेख प्रस्तुत कराने का अभाव ।

25. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1. अन्यत्र कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत स्टाफ को वेतन-भत्तो का अनियमित भुगतान ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक त)
2. लेबोरेट्री में आवश्यक सामग्री की बिना टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किये अनियमित भुगतान ।
3. निर्मित धर्मशालाओं के उपयोग मे नही आने के कारण व्यय की गई राशि का अवरूद्व होकर निष्फल होना ।
4. जिला ओषधि भण्डार पर ओषधियों के अवधि पार होने से हानि ।
5. ओषधियो की बैच वाईज मानक क्षमता टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही फर्मो को अनियमित भुगतान ।
6. सनदी लेखाकार के अंकेक्षण करवाने का अभाव तथा आर.एम.आर.एस. सोसायटी की कार्यकारणी की बैठको का आयोजन नही होना ।
7. ब्लड बैक से बैक से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि राजस्थान राज्य रक्त संचारण परिषद को जमा कराने का अभाव ।

26. चिकित्सा शिक्षा विभाग

1. लेखापरीक्षा को अभिलेख/रिकोर्ड प्रस्तुत करने का अभाव ।
2. ब्लड बैक से बैक से प्राप्त राजस्व की 15 प्रतिशत राशि राजस्थान राज्य रक्त संचारण परिषद को जमा करवाये जाने का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न – अनुलग्नक थ)

27. पुलिस विभाग

1. बैको, संस्थाओं को भेजे गए पुलिसकर्मियों की राशि की वसूली का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न - अनुलग्नक द)

28. नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका

1. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव ।
2. अभिलेख उपलब्ध करवाने का अभाव ।

29. उच्च शिक्षा विभाग

1. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों का अनियमित भुगतान ।
2. अवितरित छात्रवृत्ति राशि छात्रों को वितरित करने का अभाव ।
3. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव ।
4. विद्युत बिलों के पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि का अनियमित भुगतान ।

30. तकनीकी शिक्षा विभाग

1. पावर फैक्टर सरचार्ज का अनावश्यक भुगतान ।

31. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

1. बजट आवंटन से अधिक व्यय ।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्रो की प्राप्ति का अभाव ।
3. छात्रकोष मद से कार्यालय मद पर अनियमित व्यय ।
4. अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण का अभाव ।
5. सूचना व अभिलेख उपलब्ध करवाने का अभाव ।

32. युवा मामलें एवं खेल विभाग

1. उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति का अभाव ।

33. एच.सी.एम., रीपा

1. अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण का अभाव ।

34. जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत

1. निर्माण कार्यो मे मूल्यांकन से अधिक व्यय की वसूली का अभाव ।
2. अभिलेख/समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का अभाव ।
3. व्ययो के समायोजन का अभाव ।
4. बन्द/मृत पडी योजनाओं की राशि को राजकोष में जमा कराने का अभाव ।
5. मनरेगा से सरपंचों/सचिवों को मानदेय का भुगतान ।
6. ग्राम पंचायतो द्वारा बधाई संदेशो पर विज्ञापन व्यय करना ।